**संख्या:22/2025/124जे0/22-5-2025-61रा0मा0/ 2024**

**प्रेषक,**

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

**सेवा में**,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5** **लखनऊ: दिनांक 10 फरवरी, 2025**

विषय- जिला कारागार, पीलीभीत के विचाराधीन बंदी सुखविन्दर पुत्र श्री तिलक राम की दिनांक 20.02.2024 को हुई मृत्यु के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1843/मा0अनु0-2/11/2024, दिनांक 15.01.2025 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया, जिला कारागार, पीलीभीत के विचाराधीन बंदी सुखविन्दर पुत्र श्री तिलक राम की दिनांक 20.02.2024 को हुई मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस संख्या-3118/24/60/2024-जेसीडी, दिनांक 10.10.2024 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ परिजनों को चालू वित्तीय वर्ष-2024-2025 के अन्तर्गत धनराशि रू0 3,00,000/- (रु० तीन लाख मात्र) के मुआवजा भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करतीं हैं।

**2-** उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2024-2025 के आय व्यय के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्षक-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध बजट प्राविधान से वहन किया जायेगा।

**3-** उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा प्रश्नगत केस में पारित आदेश दिनांक 10.10.2024 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

**4-** प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों को प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहॉ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

**5-** महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- प्रश्नगत मामले में किसी कार्मिक के दोषी न पाए जाने के दृष्टिगत मुआवजा धनराशि की वसूली से छूट प्रदान की जाती है।

**7-** यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

**भवदीय,**

(शिव गोपाल सिंह)
संयुक्त सचिव। **--2**

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

**संख्या:22/2025/124जे0(1)/22-5-2025, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सहायक निबन्धक (विधि), मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- जिलाधिकारी, पीलीभीत ।

4- अधीक्षक जिला कारागार, पीलीभीत को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट ।

5- कोषाधिकारी, पीलीभीत ।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4।

7- अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

8- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।

9- गार्ड फाईल।

**आज्ञा से,**

(अभय कुमार त्रिपाठी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।